कार्यालय निदेशक, भारत रत्न पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान,नैनीताल।

Website- www.nainitalzoo.org.in E-mail – nainitalzoouk@gmail.com

पत्रांक 74 (A) / 2–जू (टैण्डर) दिनांक 08.09.2017

चिड़ियाघर के कैन्टीन संचालन हेतु निविदा के नियम एवं शर्ते

1. **निविदा जमा करने के अन्तिम तिथि व समयः–** दिनांक 18.09.2017 दोपहर 2 बजे तक
2. **निविदा खोलने की तिथि व समय :–** दिनांक 18.09.2017 दोपहर 2.30 बजे
3. **निविदा जमा करने का स्थानः–** कार्यालय, निदेशक, भारत रत्न पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान नैनीताल–263002, उत्तराखण्ड

4.1.**ठेके की अवधिः–** कैन्टीन के संचालन के ठेके कि अवधि दिनांक 01.10.2017 से 30.09.2018 तक रहेगी। जिसकी अवधि आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

4.2.**निविदा की न्यूनतम धनराशि रू0 15,00,000.00 (रूपया पन्द्रह लाख मात्र) + 18% GST निर्धारित की जाती है।**

5. **अर्हता कि शर्तेः–**

5.1.निविदादाता के पास खाद्य सामग्री बिक्री का लाइसेंस/पंजीकरण होना आवश्यक है।

5.2.प्रत्येक ठेकेदार के पास आयकर विभाग द्वारा जारी PAN होना चाहिए। बिना PAN का ठेका मान्य नहीं होगा। PAN की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5.3.ठेकेदार किसी भी सरकार विभाग द्वारा कभी भी काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।

5.4.एक निविदादाता मात्र एक ही निविदा ही डाल सकेगा।

6. **अर्नेस्टमनी डिपोजिट (EMD):–** निविदादाता द्वारा टेण्डर फार्म/आवेदन के साथ रू0 40,000.00 (रू0 चालीस हजार मात्र) धनराशि का टी0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एन.एस.सी. या डिमाण्ड ड्राफ्ट जो ''निदेशक नैनीताल प्राणी उद्यान'' के नाम से हो अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। निविदादाता की पूर्व में प्राणी उद्यान में जमा जमानत राशी मान्य होगी।

7. **चयनित ठेकेदार के दायित्वः–**

7.1.कैन्टीन का सुव्यवस्थित एवं आकर्षक रूप से रखरखाव एवं संचालन करेगा।

7.2.कैन्टीन में स्वच्छता एवं शुद्धता के साथ खाद्य सामग्रियों एवं पेय पदार्थों को तैयार कर उचित मूल्यों पर बेचा जाना। डिब्बा बन्द सामग्रियों को MRP से अधिक दर पर बिक्री पूर्णन रूपेण प्रतिबन्धित होगी।

7.3.खाद्य पदार्थ ताजा एवं शुद्ध बिक्री हेतु रखा जायेगा।

7.4.चयनित ठेकेदार द्वारा वर्तमान में प्रचलित सम्बन्धित समस्त नियमों/अधिनियमों का अनुपालन करना होगा।

7.5.चयनित ठेकेदार पर तीसरे पक्ष द्वारा योजित मुकदमें या अन्य मामलों में चिड़ियाघर प्रबन्धन जिम्मेदार नहीं रहेगा।

7.6.चयनित ठेकेदार चिड़ियाघर कि पूर्वानुमती के बिना कैन्टीन के संचालन को किसी अन्य ठेकेदार /संस्था को सबलेट नहीं करेगा।

7.7.निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को निविदा को सम्पूर्ण धनराशि (मय समस्त टैक्स आदि के) अधिकतम दो किश्तों में जमा करनी होगी जो कि प्रत्येक 50 प्रतिशत धनराशि की होंगी। प्रथम किश्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा द्वितीय किश्त कार्य के 3 माह व्यतीत होने पर चौथे माह के प्रथक सप्ताह के अन्त तक जमा करनी होगी। धनराशि जमा करने में असफल होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है अथवा कार्य संचालन बन्द किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्राणी उद्यान, नैनीताल प्रबन्ध सोसाइटी किसी भी क्षतिपूर्ति के दावे पर विचार नहीं करेगी।

7.8.वन कर्मी एवं अधिकारियों को चयनित ठेकेदार द्वारा खाद्य सामग्री में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगा।

8. **टेण्डर जमा करनाः–**

8.1.निविदा प्रपत्र, निदेशक कार्यालय भारत रत्न पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान नैनीताल से दिनांक 15.09.2017 दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र प्राणी उद्यान की वेबसाई www.nainitalzoo.org.in तथा www.forest.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है। निविदा

प्रपत्रों को इन्टरनेट डाउनलोड कर उपयोग किया जा सकता है। इच्छुक निविदादाता निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 250.00+12% GST = 280.00(रू0 दो सौ अस्सी मात्र) (Nonrefundable) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट को निदेशक नैनीताल प्राणी उद्यान के नाम पर निरूपित करना होगा।

8.2. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ निविदा प्रपत्र की धनराशि व अर्नेस्टमनी की धनराशि डिपोजिट (EMD) करना आवश्यक है।

8.3. निविदादाता द्वारा बन्द लिफाफे में निविदा को निदेशक कार्यालय, भारत रत्न पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल में स्थित निविदा पेटिका में दिनांक 18.09.2017 को दोपहर 2.00 बजे तक जमा कर सकते है।

8.4. निविदा दाता को समस्त आवश्यक संलग्नक यथा अर्नेस्टमनी (टी0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट/NSC), निविदा शुल्क का ड्राफ्ट, PAN की छायाप्रति, काली सूची में दर्ज न होने का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, संतोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र एवं GST पंजीकरण संख्या की प्रति को लिफाफे 'A' में एवं निविदा दरें द्वितीय लिफाफे 'B' में अलग–अलग रख कर दोनों लिफाफों को लिफाफे 'C' में एक साथ रखकर प्रस्तुत करें।

8.5. निविदादाता द्वारा बन्द लिफाफे के ऊपर ''चिड़ियाघर कैन्टीन के संचालन हेतु निविदा'' लिखा होना चाहिए।

8.6. प्राप्त निविदाओं को दिनांक 18.09.2017 को दोपहर 2.30 बजे निदेशक, नैनीताल 'प्राणी उद्यान नैनीताल या उनके द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा निविदादाताओं या उनके द्वारा अधिकृत सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा।

8.6. निर्धारित समय व तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदायें निरस्त समझी जायेगी व किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।

8.7. निविदादाता द्वारा ''सशर्त'' निविदा को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

8.8. इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि निविदा जमा करने से पूर्व कैन्टीन स्थल, इससे सम्बन्धित मुद्दों को भलिभॅाति समझ लें। इच्छुक निविदादाता को आपूर्ति से सम्बन्धित कोई शंका/प्रश्न है तो वे लिखित रूप में निदेशक कार्यालय, नैनीताल प्राणी उद्यान से दिनांक 17.09.2017 तक शंका निवारण कर सकते है।

9. जमानत की राशि (Performance Security):-

9.1. चयनित निविदादाता को जमानत के रूप में धनराशि रू0 40000.00 (रू0 चालीस हजार) को को 30 दिन के अन्दर निदेशक कार्यालय में जमानत की राशि (Performance security) के रूप में जमा करनी होगी।

9.2. ठेका समाप्त होने के उपरान्त उक्त जमानत की राशि (Performance security) को ठेकेदार को वापस की जायेगी। जो निविदा शर्तो से आच्छादित रहेगी।

9.3. ठेकेदार द्वारा निविदा शर्तों का उल्लघंन कि दशा में चिड़ियाघर प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि यह ठेकेदार द्वारा जमा जमानत की राशि (Performance security) कि धनराशि या पूर्व या आंशिक रूप से जब्त कर सकेगा।

10. प्राणी उद्यान द्वारा कैन्टीन के संचालन हेतु काउन्टर उपलब्ध कराया जाएगा तथा कैन्टीन हेतु आवश्यक फर्नीचर एवं कैन्टीन के विद्युत बिलों का भुगतान करने की व्यवस्था सफल निविदादाता को स्वयं करनी होगी।

11. गुटका, पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट व मादक/नशीले पेय आदि की बिक्री तथा ध्वनि प्रदूषण पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

12. कैन्टीन के संचालन हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले कर्मचारियों का प्राणी उद्यान कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक होगा। इसके साथ ही कैन्टीन के संचालन हेतु तैनात किये गये कर्मचारियों का व्यवहार, प्राणी उद्यान के भ्रमण पर आने वाले सैलानियों एवं प्राणी उद्यान के कर्मचारियों से अनुशासित, शिष्ट एवं शालीन होना परम आवश्यक है।

13. चयनित ठेकेदार को अपने कैन्टीन कर्मी को युनिफोर्म व नेमप्लेट देना होगा।

14. प्राणी उद्यान द्वारा समय–2 पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

15. सफल निविदादाता को मीनू के अनुसार खाद्य सामग्री की दरें एक बोर्ड में प्रदर्शित करनी आवश्यक होंगी व तद्नुसार ग्राहक/पर्यटकों से प्रदर्शित दरों के अनुसार ही धनराशि प्राप्त करेगा।

16. चिड़ियाघर प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि वह कभी भी खाद्य सामग्री की जांच कर सकेगा। जांच में रोग ग्रस्त, सड़ी गली व अन्य खराब पायी गयी खाद्य सामग्री को चिड़ियाघर प्रबन्धन को नष्ट करने का अधिकार होगा।

17. कैन्टीन को अवकाश के अतिरिक्त सभी दिन नियत समय पर खोलना होगा। टेण्डर अवधि में विशेष परिस्थितियों में 3 दिन से अधिक कैन्टीन बन्द रखने पर निदेशक प्राणी उद्यान से अनुमति लेना अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर टेण्डर निरस्त करने का अधिकार निदेशक प्राणी उद्यान नैनीताल को होगा व जमानत भी जब्त कर ली जायेगी।
18. टेण्डर को बिना कारण बतायें स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, प्राणी उद्यान नैनीताल को होगा।
19. आवेदन कर्ता द्वारा कैन्टीन में विक्रय हेतु जारी की गई विक्रय सूची का अनुमोदन प्राणी उद्यान कार्यालय के सक्षम अधिकारी से करवाया जाना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध मे किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर कैन्टीन संचालक स्वंय जिम्मेदार रहेगा।
20. कैन्टीन के संचालन में इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसकी गतिविधियों से भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 का उल्लंघन न होता हो।
21. कैन्टीन के संचालन हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले कर्मचारियों का प्राणी उद्यान कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक होगा। इसके साथ ही कैन्टीन के संचालन हेतु तैनात किये गये कर्मचारियों का व्यवहार, प्राणी उद्यान के भ्रमण पर आने वाले सैलानियों एवं प्राणी उद्यान के कर्मचारियों से शिष्ट एवं शालीन होना परम आवश्यक है।
22. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ निम्न संलग्नक प्रेषित करने होंगे।
    1. अर्नेस्टमनी डिपोजिट (रू0 40,000.00) का टी.डी.आर./डिमाण्ड ड्राफ्ट/ एन.एस.सी./ प्राणी उद्यान, नैनीताल में पूर्व में जमा जमानत की राशि विवरण।
    2. निविदा शुल्क रू0 250.00+12% GST = 280.00(रू0 दो सौ अस्सी मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट (इन्टरनेट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दशा में)
    3. पैन कार्ड की छाया प्रति।
    4. किसी सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज न होने का घोषणा पत्र।
    5. जी0एस0टी0 पंजीकरण की छायाप्रति।
    6. उन सभी उत्पादों पर जिनमें जी0एस0टी0 लागू है, उन सभी उत्पादों के दरों पर जी0एस0टी0 शामिल करते हुये दरें दी जाए।

भवदीय

निदेशक
भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत
उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान
नैनीताल

पत्रांक संख्या / 2–जू तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, (वन्य जीव) उत्तराखण्ड, नैनीताल
2. मुख्य वन संरक्षक कुमॉऊ उत्तराखण्ड, नैनीताल
3. वन संरक्षक दक्षिणी कुमॉऊ वृत्त उत्तराखण्ड, नैनीताल
4. जिलाधिकारी, नैनीताल
5. मुख्य विकास अधिकारी ,नैनीताल भीमताल
6. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल
7. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल
8. वन क्षेत्राधिकारी, 'जू' को बृहत्त प्रचारार्थ प्रेषित
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु

निदेशक
भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत
उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान
नैनीताल